METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बलात्कार के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 28.07.2019 वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने की सूचना पर धारा 376,506 भादिव, ¾ पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना जगदीशपुर पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटिरंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 09.04.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे-12 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 25,000 रु० के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा। सजा का विवरण:-

- 🔲 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।
- □ अभियुक्त को 25,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास। दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-
 - 🔪 जीतू मौर्या पुत्र गौरी प्रसाद नि0 कचनांव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

पैरोकार का0 दिलीप कुमार

एडीजीसी श्री सीएल

द्विवेदी



